न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 65 / 2022
(जीसीएमएस संख्या 2022 / 303)

निर्णय दिनांकः– 05-05-2025

1. बाबुलाल पुत्र गोरधनलाल जाति सोनी निवासी एम एम ग्राउण्ड के पीछे नत्थूसर बास तहसील व जिला बीकानेर।
2. कमलकिशोर पुत्र गोरधनलाल जाति सोनी निवासी एम एम ग्राउण्ड के पीछे नत्थूसर बास तहसील व जिला बीकानेर।
3. शिवनारायण पुत्र गोरधनलाल जाति सोनी निवासी एम एम ग्राउण्ड के पीछे नत्थूसर बास तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. मघाराम पुत्र हरिराम जाति सुथार निवासी कीतासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ
दिनांक 23–08–2022

उपस्थितः–

1. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ के आदेश दिनांक 23–08–2022 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाकर नया रास्ता कायम किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान करने की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 493 वाके ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के प्रावधानों के विपरीत जाकर रास्ता कायम किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण धारा 251 ए का नहीं होते हुए धारा 251 से संबंधित था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास में पूर्व में ही रास्ता है फिर भी नये रास्ते की मांग किया जाना धारा 251 ए आरटीए के प्रावधानों के विपरीत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण है। उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी शुरू से इसी रास्ते से होकर अपनी भूमि में आता जाता रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त रास्ता को तारबंदी करके बंद कर देने के कारण प्रार्थी नजरी फर्द मौका नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये मार्क ए से बी के रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। इसी तरह प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

संख्या 9 में भी कथन किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त रास्ता को बंद ना करने का बार बार निवेदन किया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ता को बंद कर दिये जाने के उपरान्त प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त रास्ता को पुनः खोलने का निवेदन भी किया। इस तरह यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु अथवा कदीमी रास्ते को कटानी दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था मगर रेस्पोडेन्ट द्वारा उसकी जगह नये मार्ग की मांग की गई है जो धारा 251 क के प्रावधानों के प्रतिकूल है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपनी भूमि से चिपती खसरा नम्बर 494 की भूमि स्थित है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाई की संयुक्त खाते की भूमि है। रेस्पोडेन्ट पूर्व में तथा वर्तमान में इसी खसरे से अपनी भूमि में आवागमन करता था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 केवल मात्र अपनी भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडने हेतु नवीन रास्ता चाहता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि रोही बिग्गा खसरा नम्बर 493 के खातेदार ने अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता (जो बंद कर रखा है) खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए में प्रस्तुत किया था। ऐसे में यह स्पष्ट है कि धारा 251 ए नये रास्ते से संबंधित धारा है जबकि बंद रास्ते को खुलवाने हेतु धारा 251 विधि में निहित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट्स को पूर्व से ही अपना जोत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी नया रास्ता कायम करने के आदेश विधि विरूद्व व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत प्रदान किये गये है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के पैरा ॥ में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुरभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिग्गा में खसरा नम्बर 493 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 556 में से रास्ते की मांग की गई क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त रास्ते से ही अपनी जोत में आवागमन करते आ रहे है। अपीलांट्स द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर दिया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवगमन में असुविधा होती है तथा उसके हितों पर कुठाराधात हो रहा है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह अभिलिखित है कि प्रार्थी पूर्व से ही अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से आता जाता रहा है तथा इसी के साथ यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी को अप्रार्थी बाबूलाल, कमलकिशोर व शिवनारायण आदि की भूमि में से मार्ग दिया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर खसरा नम्बर 556 में से 565 वर्गमीटर भूमि रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। अपीलाधीन आदेश की पालना में रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जा चुका है। अपीलांट/प्रार्थी अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधिकारी नहीं है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तहसील श्रीडूंगरगढ के ग्राम बिग्गा के खेत खसरा नम्बर 556 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए का अवलोकन किया गया। धारा 251 ए के अनुसारः– Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet. उपरोक्त धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 251 ए आरटीए का उद्देश्य केवल कृषि कार्य हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध करवाना है, अन्य प्रयोजनार्थ नहीं। धारा 251 ए में यह स्पष्ट अभिलिखित किया गया है कि केवल मात्र अत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग की अनुपस्थिति में ही नवीन रास्ता स्वीकृत किया जायेगा। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 493 में स्थित है एवं इसी से चिपते खसरा नम्बर 494 में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की संयुक्त खाते की भूमि स्थित रही है जिसके आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पुराने प्रचलित रास्ता जो मौके पर बंद है को खुलवाने व कटानी रास्ता दर्ज करवाने हेतु मांग की है जोकि धारा 251 ए के तहत देय अनुतोष की परिधि से बाहर है। अदालत मातहत द्वारा नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व तहसील स्तर से जो रिपोर्ट मंगवाई है उस रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में यह अभिलिखित किया है कि 60–70 वर्षों से अपीलांट के खातेदारी खेत से कदीमी रास्ता था जो मौके पर वर्तमान में बंद है। यह रास्ता यदि बंद है और इस बंद रास्ते को खुलवाना है तो विधि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 उपबंधित किया गया है तथा इस कदीमी रास्ते को कटाणी रास्ते में दर्ज करवाना है तो उसके लिए भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधान उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथाकथित चालू रास्ते/कदीमी रास्ते के संबंध में इन प्रावधानों के तहत चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय को नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व निकटतम रास्ते का चयन करना होता है। प्रकरण में गिरदावर हल्का ने मौका रिपोर्ट तैयार करते समय इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है एवं अपनी अपूर्ण रिपोर्ट भिजवाई है। जबकि संबंधित तहसीलदार को मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपनी रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाना था:— क्या प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध है? क्या प्रार्थी व उसके परिवारजनों का खसरा नम्बर 494 में संयुक्त खातेदारी की भूमि है व क्या प्रार्थी खसरा नम्बर 494 से आवागमन करता था? क्या प्रार्थी केवल राष्ट्रीय राजमार्ग को दृष्टिगत रखते हुए सुविधा के लिए नये रास्ते की मांग कर रहा है? इन बिन्दुओं की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को इन तमाम तथ्यों की जांच करते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना था। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों की जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं होने से निरस्त योग्य है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ का आदेश दिनांक 23—08—2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर, मौका रिपोर्ट पर बिन्दुवार स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त करते हुए उपरोक्त वर्णित तथ्यों की संक्षिप्त जांच करते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे। उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30—05—2025 को उपस्थित हो।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05-05-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर